Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding reported detention of MPs from a particular party at Silchar airport.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): मैडम ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप बोलना चाहेंगे? हल्ला खत्म हो गया?

SHRI KALYAN BANERJEE: Yes.

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए ।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैडम, मैं बस एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, समय मिला तो आपको दूंगी । आप बैठिए ।

SHRI KALYAN BANERJEE: Hon. Speaker Madam, I am obliged that you have given me a chance to speak. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): My dear colleague Shri Kalyan Banerjee is raising an issue. My only request is this. We have requested the hon. Home Minister to give a detailed response. I request him to co-operate in running the House after the response.

SHRI KALYAN BANERJEE: Hon. Speaker Madam, through you, I intimate to the hon. Parliamentary Affairs Minister that he has never dreamt about the amount of co-operation which he has possibly got from our Party.

Today's issue is a very sensitive issue regarding the elimination of 40 lakh Bengalis in Assam in the NCR list. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: बंगाल के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं है । It is 40 lakh people; that is all. Nobody knows anything.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Most of them are Bengalis. Out of them 85 per cent or 90 per cent are Bengalis. … (*Interruptions*) You do not understand what the issue is.

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रह्लाद जी, आप क्यों जवाब दे रहे हैं?

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Why are you afraid of hearing what I say? … (*Interruptions*)

Yesterday, a team consisting of six MPs and also two Ministers from the State went to Silchar for the purpose of having only a discussion and an assessment of the issue in question. I am not speaking about the Ministers but I am speaking about the hon. MPs only. They were Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Dr. Ratna De (Nag), Shrimati Mamata Thakur and Shrimati Arpita Ghosh from Lok Sabha and Shri Sukhendu Sekhar Roy and Shri Md. Nadimul Haque from Rajya Sabha.

When they reached Silchar airport, the Assam police did not allow them to come out of the airport. They were told that they were detained under section 151 of the Cr.P.C. Yesterday, I had a talk with the hon. Parliamentary Affairs Minister outside the House. He told me that it was because of the officer appointed by the Supreme Court of India that they had been detained, if I am right.

The fact is this. The order was not passed under section 151; the competent authority is the District Magistrate. It was made clear by them that

they were going to Silchar just to make an assessment. He said, 'No, you will hold a public meeting'. They categorically said there would not be any public meeting; they would assess the issue and therefore they may be allowed but hey were not allowed.

You know Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Shrimati Mamata Thakur, Dr. Ratna De (Nag) and Shrimati Arpita Ghosh very well. They were manhandled by the Assam police. Every channel has shown how Shrimati Mamata Thakur was manhandled; it appeared in every channel.

Our privilege notice has already been given. A citizen of India has a right to move anywhere in India. An MP also has the responsibility to go anywhere in India if there is an problem.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): …(व्यवधान) बंगाल से भी बहुत लोगों को भगा दिया गया है।…(व्यवधान) आज वे लोग जमशेदपुर में आकर रह रहे हैं।… (व्यवधान) क्या उनको वहाँ रहने का राइट नहीं है? …(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : It is clear from their statement that their action was *mala fide*.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : किसी अन्य सदस्य का स्टेटमेंट रिकार्ड में नहीं जा रहा है, only Shri Kalyan Banerjee's statement is going on record. Why are you answering them?

...(Interruptions)... *

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, I would like the hon. Home Minister to make a statement. He is here in the House. Irrespective of the fact, whether I am in agreement or disagreement of any political issue, we have a deep regard for Shri Rajnath Singh, the hon. Home Minister of the country. There is no dispute over that. In fact, outside the House I always say to him that we respect him like anything. I said this, two days back also.

Now, these six MPs have been man-handled only because they were going there to assess the issue. Is it not an un-declared emergency in the country

itself? Even during emergency, people could have moved from one place to other. I know elections are coming and everyone is getting ready for that. Are you afraid of that? Are you getting nervous after seeing the united force of the Opposition that you are detaining the MPs there? … (*Interruptions*) This is a privilege issue. Hon. Home Minister is here in the House.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: You please complete now.

SHRI KALYAN BANERJEE: How can I complete?

HON. SPEAKER: Yes, you can. जैसे आप प्रश्न काल में चिल्ला रहे थे, वैसे ही पूरा कीजिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI KALYAN BANERJEE: We seriously deprecate the way the Assam Police has detained these MPs. We deprecate and condemn all efforts. We are very sorry to say that the news came in yesterday at 1.30 p.m. and we expected that the Central Government, especially the hon. Home Minister, would take appropriate steps and intimate us on his own. But, we are very sorry to say that in the last 24 hours nothing has been done. Parliamentarians have been deprived of their right to protect the people, to ventilate their grievances and to know or assess the position. It is also incorrect that there is no injunction or interim order. No order, to the effect that no political meeting would be held in Assam in this regard, has been passed by the hon. Supreme Court. Not a single thing has been done. Kindly do not say incorrect things before the Court or before the hon. Speaker.

माननीय अध्यक्ष : विजया जी बहुत सीनियर है। असम के बारे में कुछ कहना चाहती हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): मैडम, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि 37 ईयर्स से कांग्रेस के जमाने में कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ एनआरसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, माननीय केन्द्रीय सरकार, असम सरकार और माननीय राजनाथ सिंह के इंटरवेंशन से सम्भव हुआ । असम में 30 जुलाई को एनआरसी पब्लिश हुआ। असम में 37 जिले हैं। 37 जिले में हर जगह बंगाली पॉपुलेशन आ गई है। In these 37 Zilas, Bengali population is everywhere. In my constituency, Guwahati, alone, there are 3,45,000 Bengalis. There is no trouble. शांतिपूर्ण वातावरण चल रहा है। असम में धारा 144 चल रही है। इसके बीच कोई इनफॉर्मेशन नहीं दिखी । …(व्यवधान) मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया । आप सुनिए । …(व्यवधान) हिम्मत है तो सुनो । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विजया जी, कंपलीट करिए ।

…(व्यवधान)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: आपकी हिम्मत है, तो सुनिए । …(व्यवधान)

33 जिलों में कहीं गड़बड़ नहीं है, सिलचर एयरपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस के छह सांसद, एमएलए और स्टेट मिनिस्टर वहां पहुंचे । वहां बाहर निकल कर लोगों से मारपीट किया, बाहर आकर लोगों की पिटाई किया, …(व्यवधान) असम में दस टीवी चैनल है, इवेरी चैनल में इसे दिखाया है। यह असमिया और बंगाली की बात नहीं है, यह नेशनल इश्यू है। प्रत्येक देशप्रेमी इसे सपोर्ट करता है, मैं यही बात कहना चाहती हूं। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने यहां तक कहा कि असम में सिविल वार होगा, असम में ब्लडशेड होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला । मेरा एक सजेशन है …(व्यवधान) उन लोगों को बुक करना चाहिए, इमिडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, जो सीएम यह कह सकते हैं कि असम में ब्लडशेड होगा, इससे भयानक बात कुछ नहीं हो सकता है। …(व्यवधान) असम की शांतिपूर्ण वातावरण को विनाश के लिए तृणमूल कांग्रेस की सीएम ने वहां एक टीम भेजा है। उन्होंने कहा कि असम में चालीस लाख लोगों को निकाल बाहर करेगा, हम उन लोगों को सपोर्ट देंगे । असम अभी शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण वातावरण रखने के लिए इन लोगों का सहयोग चाहिए । असम में गड़बड़ करने के लिए ये लोग क्यों गये? …(व्यवधान) असम में साम्प्रदायिक संघर्ष के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोग गए ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती विजय चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं शांति की बात सुनना चाहती हूं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदया, भारत में लोकतंत्र है, इसमें सभी राजनीतिक दल अपनी बात रख सकते हैं, यह उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है। आज असम के लोग शांति और धैर्य दिखा रहे हैं, खासकर वे लोग जो इस लिस्ट में नहीं हैं। वे गोरखा हैं, बंगाली हैं, मारवाड़ी है, गुजराती हैं, असमिया है, बिहारी हैं, सभी लोग शांति और धैर्य दिखा रहे हैं। हमें सभी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए । वह खिलंजी है, बंगाली हो, किसी भी धर्म या जाति का हो । लेकिन आज सीना ठोक कर उत्तेजित भाषण करने से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। इससे मसला सुलझा नहीं सकते अगर हम उत्तेजित भाषण करेंगे । असम के लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए । नफरत और डर की राजनीति को बंद करना चाहिए । एनआरसी का नब्बे प्रतिशत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सारे अप्लीकेशन कांग्रेस शासन के समय ही जमा हुए थे । अगर गलती हुई है तो इसे छापने में गलती हुई है। इस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शांति की बात एक मिनट में बोलिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदया, हम सभी चाहते हैं कि बंगाली और असमिया मिल कर एक साथ रहें, एक साथ जीएं, एक साथ बड़ा हों । असम में आज से नहीं सदियों से बंगाली हैं, बिहारी हैं, नेपाली हैं, सभी लोग हैं। असम को अपना सूबा मानते हैं, हमें भड़काने वाला काम नहीं करना चाहिए । ...(व्यवधान) चाहे जो कुछ भी हो, हर किसी को अपना रिस्पॉन्सबेलिटी महसूस करना चाहिए । दूसरी बात, कहीं सिविल वार नहीं है, कहीं ब्लडबॉथ नहीं है, न बंगाल में न असम में, जबर्दस्ती इस विषय को उठाकर एक सब-रीजनलिज्म की हालत पैदा की जा रही है। यह बहुत खतरनाक है। बंगाल के लोगों की चाहत है कि असम में जो बंगाली हैं वे सुरक्षित रहें ।

माननीय अध्यक्ष: आपका हो गया, कितनी बार बोलेंगे ।

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): अध्यक्ष महोदया, मैं भी एनआरसी के बारे में दो बात बोलना चाहता हूं। मैं असम के कोकराझार से सांसद हूँ । मेरा कंस्टीट्यूएंसी के तीन लाख लोगों का नाम नहीं आया है। लेकिन हमारे लोग धैर्य बनाए हुए हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका नाम जरूर आएगा क्योंकि उनके पास भारतीय होने का पूरा सबूत है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सारे देश में जो माहौल है इससे असम के लोग बहुत दुखी है। चाहे बंगाली हो, चाहे असमिया हो, चाहे इंडिजिनस हो, या किसी भी कम्यूनिटी का हो, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो करैक्शन होगा उसमें सबका नाम आएगा। असम के सभी लोग चाहते हैं शुद्ध एन.आर.सी., इसलिए मैं सारे सदन का सपोर्ट चाहता हूँ और मेरी मांग है कि असम के लिए शुद्ध एन.आर.सी. का काम अच्छी तरह से हो पाए ।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी ने टीएमसी के कुछ जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का प्रश्न सदन में खड़ा किया है। मैं इस संबंध में जानकारी देना चाहता हूं कि असम सरकार को मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल हुई थी और साथ ही साथ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी प्राप्त हुए थे। उन इनपुट्स के आधार पर वहां की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैन्टेन रखने के लिए यह सिचुएशन डिटोरिएट न करने पाए, इस बात की चिंता करते हुए, वहां जो भी सम्मानित सदस्य गए थे, उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया था । मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट आफिसर और डिप्टी कमिश्नर और जितने भी पुलिस अफसर थे, वे बहुत ही फोल्डिड हैंड से बराबर रिक्वेस्ट करते रहे कि धारा 144 लगी है, जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर आपका बाहर जाना उचित नहीं होगा । उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया । एक जनप्रतिनिधि के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा सम्मान देना चाहिए, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने वैसा ही व्यवहार किया, वैसा ही उनको सम्मान दिया ।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस प्रकार की भी जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई है कि कुछ जनप्रतिनिधियों की पुलिस आफिशियल्स के साथ हाथापाई भी हुई थी । मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद थोड़ी-बहुत चोट भी लगी थी, यह संभव है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 2 अगस्त, 2018 को टीएमसी का डेलिगेशन दोपहर 1 बजकर 55 बजे सिल्चर एयरपोर्ट पहुंचा और डीसी ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें रिसीव किया । डिप्टी कमिश्नर ने पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा। उन्हें प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बारे में जानकारी भी दी और उनसे वापिस जाने का अनुरोध किया । डेलिगेशन के मैम्बर्स ने उनकी बात न सुनते हुए वहां के

सुरक्षाकर्मियों के साथ आर्ग्युमेंट्स और धक्कामुक्की की । इसमें दो महिला सुरक्षाकर्मी इन्जर्ड भी हो गईं ।

डेलिगेशन के मैम्बर्स ने वहां कुछ अनरूली सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जिससे आम पैसेंजर्स को असुविधा होने लगी थी और उस समय पैसेंजर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत भी की । दिल्ली और कोलकाता की लास्ट फ्लाइट जाने के पश्चात कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने के कारण पुलिस ने डेलिगेशन के मैम्बर्स को धारा 151 सीआरपीसी के तहत अरैस्ट किया, हालांकि मैम्बर्स का नाइट हॉल्ट एनआईटी सिल्चर में प्रपोज्ड था। वे नाइट हॉल्ट एनआईटी के गैस्ट हाउस में करें, उनसे यह रिक्वेस्ट की गई थी । मैम्बर्स के लिखित अनुरोध पर उन्हें सिल्चर एयरपोर्ट के गैस्ट हाउस में ससम्मान ठहराया गया । 3 अगस्त, 2018 को डेलिगेशन के छ: मैम्बर्स को 7 बजकर 40 मिनट की फ्लाइट से कोलकाता एवं 2 बजकर 20 मिनट की फ्लाइट से दिल्ली के लिए ससम्मान भेज दिया गया ।

इस तरह से प्रकरण को अत्यंत सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मैन्टेन रह सके । धन्यवाद ।